तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.12.2024	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर निर्णय संक्षिप्त में निम्न प्रकार है– **प्रार्थना पत्र संख्या 2/2015 बउनवान मदन बनाम रमेश वगै0** **दायरा दिनांक 12.02.2015** **निर्णय** प्रार्थिगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत् प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबंदी सम्वत् 2031 से 2034 के अनुसार कृषि भूमि खसरा सं 52 रकबा 1बीघा 8 बिस्वा, ख.सं. 53 रकबा 1बीघा 8 बिस्वा, ख.सं.116 रकबा 9बीघा 12बिस्वा, ख.सं. 1008 रकबा 11बीघा 7 बिस्वा, ख.सं. 1629 रकबा 1बीघा 16 बिस्वा, ख.सं. 1630 रकबा 9बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 34बीघा 11बिस्वा कृषि भूमि वाके ग्राम बडाखेडा तहसील के0पाटन में स्थित थी। जिसके खातेदार प्रार्थिगण व अप्रार्थिगण संख्या 1 लगायत 9 व 11 लगायत 18 के पूर्वज लालू आ0 मोटा राजस्व रिकार्ड में अंकित थे। लालू आ0 मोटा का सजरा प्रार्थना पत्र में संलग्न है। यह कि ग्राम बडाखेडा में राजस्व अधिकारियो द्वारा खातेदार करण सिंह वल्द जसवंत सिंह राजपूत की भूमि सिलिंग कानून के तहत अधिक होने से अधिग्रहण की थी जिसका नामा0 सं 133 खोला गया था। परंतु तत्समय राजस्व अधिकारियों द्वारा वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 116 रकबा 9बीघा 10बिस्वा भूमि खातेदार करण सिंह वल्द जसवंत सिंह के खाते मे न होते हुए भी इंतकाल संख्या 133 के तहत सिवायचक दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात यही उक्त खसरा संख्या 116 भूमि को ही गैर कानूनी रूप से अधिकार विहिन तरीके से बिना जांच किए उक्त आराजी इंतकाल संख्या 217 दिनांक 23.09.1977 के द्वारा अप्रार्थिगण के पिता 1 लगायत 3 के पिता नेनगा के गैर खातेदारी में नया ख.सं. 116/1 कायम करते हुए 5बीघा भूमि व अप्रार्थी सं 4 लगायत 8 के पिता पन्ना वल्द लालू के गैरखातेदारी में नया खसरा कायम करते हुए 116/2 रकबा 4बीघा 10बिस्वा भूमि अंकित कर दी गयी। ततपश्चात ख.सं. 116/1 का नया खसरा 167 रकबा 0.77है0व ख.सं. 116/2 का नया खसरा 168 रकबा 0.69है0 कायम किये है। खातेदार नेनगा व पन्ना की मृत्यु के हो चुकी है इसलिए उनके का0मु0 अप्रार्थिगण 1ता08, 11ता016 संशोधित प्रार्थना पत्र में बनाये गये है। वाद विषयक आराजी में प्रार्थिगण व अप्रार्थिगण प्रत्येक का 1/6 हिस्सा बनता है। वाद विषयक आराजी में खसरा संख्या 116 के अलावा शेष भूमि लालू जी के पुत्रों प्रार्थिगण व अप्रार्थिगण के नाम फौती इंतकाल के माध्यम से खातेदारी अंकित कर दी गयी है। मौके पर संपूर्ण भूमि पर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से यानि 1/6 भाग पर काबिज है। अप्रार्थिगण गलत रूप से दर्ज अपने नाम का फायदा उठाकर कृषिभूमि खसरा संख्या 167, 168 का बैचान करने पर आमादा है। प्रार्थिगण को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पिता लालू वल्द मोटा के खातेदारी की कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 167 रकबा 0.77है0, खसरा संख्या 168 रकबा 0.69है0 पर खातेदार घोषित करावे। प्रार्थिगण ने अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थिगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वाद विषयक आराजी ख0सं0 167,168 का किसी भी रूप में बैचान, रहन व ट्रांसफर नहीं करे व प्रार्थिगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अप्राथिगण 1 लगायत 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र कर कथन किया कि खातेदार लालू आ0 मोटा जाति माली निवासी बडाखेडा के खाते में कृल कृषिभूमि 25बीघा 11 बिस्वा थी किन्तु सेटलमेंट का कार्य सम्वत 2022 से 41 सम्पन्न हुआ उसमे खसरा सं 116 रकबा 19बीघा 12बिस्वा गलत व अवैध तरीके से बिना अधिकार व गैर कानूनी रूप से सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत व अवैध तरीके से लालू आ0 मोटा की खातेदारी में अंकित कर दिया। उक्त खसरा संख्या जिसके सेटलमेंट से पहले खसरा संख्या 44/1मि0 होते है जो करण सिंह आ0 जसवंत सिंह जाति राजपूत के खातेदारी में थी। करण सिंह जी की भूमि निर्धारित सीमा से अधिक होने से सीलिंग की कार्यवाही अधिरोपित की गयी और अधिग्रहण का नामांतकरण संख्या 133 दिनांक 20.12.1976 स्वीकृत किया गया जिसमें उक्त खसरा संख्या 116 भी शामिल थे। राजस्व कर्मचारियो द्वारा रिकॉर्ड में शुद्धि कर इन्तकाल संख्या 133 दिनांक 20.12.1976 का हवाला देते हुए पुनः ख0सं0 116 को सिवायचक दर्ज कर दिया क्योंकि यह खसरा संख्या सिलिंग में अवाप्त शुदा था न कि लालू की खातेदारी का। इस पश्चात् उक्त खसरा संख्या 116 रकबा 9बीघा 10बिस्वा भूमि में से नेनगा आ0 लालू को आवंटन कर गैर खातेदारी में नया ख.सं. 116/1 कायम करते हुए 5बीघा भूमि इंतकाल संख्या संख्या 217 दिनांक 23.09.1977 से स्वीकृत की गयी व आवंटन के आधार पर इन्तकाल संख्या 218 दिनांक 23.09.1977 से पन्ना वल्द लालू के गैरखातेदारी में नया खसरा कायम करते हुए 116/2 रकबा 4बीघा 10बिस्वा भूमि अंकित कर दी गयी। अप्रार्थिगण के पिता पक्ष में उक्त कृषि भूमि पर खातेदारी पट्टा जारी हो चुका है। वर्तमान खसरा संख्या 167 रकबा 0.77है0 अप्रार्थिगण 1 ता0 3 के खसरा संख्या 168 रकबा 0.69है0 अप्रार्थिगण 4 ता0 8 के गैरखातेदारी में अंकित है जो पट्टे के आधार पर खातेदार बन चुके है। प्रार्थिगण को उक्त कृषिभूमि बाबत कोई हक व अधिकार नहीं है केवल अप्रार्थिगण को तंग व परेशान करने के लिए उक्त दावा पेश किया है जो खारिज योग्य है। अप्रार्थिगण वाद विषयक कृषिभूमि के खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अप्रार्थिगण 1 लगायत 8 वर्तमान में खातेदार अंकित है व काबिज होकर काश्तकारी करते आ रहे है तथा आवश्यकता हुई तो विक्रय, ,खुर्द बुर्द भी करेंगे प्रार्थिगण का किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार नहीं है। प्रार्थिगण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी। प्रार्थिगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद विषयक कृषि भूमि के पूर्व खसरा संख्या 116 रकबा 9बीघा 10बिस्वा प्रार्थिगण के पिता लालू आ0 मोटा माली की खातेदारी में दर्ज थी। परंतु तत्समय राजस्व अधिकारियों द्वारा वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 116 रकबा 9बीघा 10बिस्वा भूमि खातेदार करण सिंह वल्द जसवंत सिंह के खाते मे न होते हुए भी इंतकाल संख्या 133 के तहत सिवायचक दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात यही उक्त खसरा संख्या 116 भूमि को ही गैर कानूनी रूप से अधिकार विहिन तरीके से बिना जांच किए अप्रार्थिगण के पिता को आवंटन कर उनकी गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गयी जो कानून उचित नहीं है। वर्तमान में वाद विषयक कृषि भूमि पर हिस्से अनुसार प्रार्थिगण काबिज है। प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थिगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वाद विषयक आराजी ख0सं0 167,168 का किसी भी रूप में बैचान, रहन व ट्रांसफर नहीं करें व प्रार्थिगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें। प्रार्थिगण अधिवक्ता ने

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 2016 पेज न 580, आर0एल0डब्लू0 2015(2)रेव0 पेज नं 1090, आर0आर0डी0 2019 पेज नं 413, आर0एल0डब्लू0 2002 राज0 पेज नं 185, आर0एल0डब्लू0 2014(1)राज0 पेज नं 76, आर0एल0डब्लू0 2012(1)राज0 पेज नं 359 पेश किए। अप्रार्थिगण अधिवक्ता ने प्रार्थिगण अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि खातेदार लालू आ0 मोटा जाति माली निवासी बडाखेडा के खाते में कुल कृषिभूमि 25बीघा 11 बिस्वा थी किन्तु सेटलमेंट का कार्य सम्वत 2023 से 41 सम्पन्न हुआ उसमे खसरा सं 116 रकबा 19बीघा 12बिस्वा गलत व अवैध तरीके से बिना अधिकार व गैर कानूनी रूप से सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत व अवैध तरीके से लालू आ0 मोटा की खातेदारी में अंकित कर दिया। उक्त खसरा संख्या जिसके सेटलमेंट से पहले खसरा संख्या 44/1मि0 होते है जो करण सिंह आ0 जसवंत सिंह जाति राजपूत के खातेदारी में थी। राजस्व कर्मचारियो द्वारा रिकॉर्ड में शुद्धि कर इन्तकाल संख्या 133 दिनांक 20.12.1976 का हवाला देते हुए पुनः ख0सं0 116 को सिवायचक दर्ज कर दिया क्योंकि यह खसरा संख्या सिलिंग में अवाप्त शुदा था न कि लालू की खातेदारी का। इस पश्चात् उक्त खसरा संख्या 116 रकबा 9बीघा 10बिस्वा भूमि में से नेनगा आ0 लालू को आवंटन कर गैर खातेदारी में नया ख.सं. 116/1 कायम करते हुए 5बीघा भूमि इंतकाल संख्या संख्या 217 दिनांक 23.09.1977 से स्वीकृत की गयी व आवंटन के आधार पर इन्तकाल संख्या 218 दिनांक 23.09.1977 से पन्ना वल्द लालू के गैरखातेदारी में नया खसरा कायम करते हुए 116/2 रकबा 4बीघा 10बिस्वा भूमि अंकित कर दी गयी। अप्रार्थिगण के पिता पक्ष में उक्त कृषि भूमि पर खातेदारी पट्टा जारी हो चुका है। वर्तमान में अप्रार्थिगण खातेदारी पट्टे के अधार पर खातेदार बन चुके है। अप्रार्थिगण वाद विषयक कृषिभूमि के खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थिगण अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2015(1) पेज नं 333, आर0आर0टी0 2009(2) पेज नं 1393, आर0आर0टी0 2004(2) पेज नं 1045, आर0आर0टी0 2013(1) पेज नं 123 पेश किए।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ खतौनी संख्या नयी 638 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 168 रकबा 0.69है0 पन्ना वल्द लालू कोम माली के गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी खातेदार की मृत्यु के पश्चात् जमांबदी में नामा0 सं. 1270 से पन्ना की वारिसान प्रतिवादीगण का नाम गैरखातेदार दर्ज करने का नोट अंकित है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ खतौनी संख्या नयी 632 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 167 रकबा 0.77है0 नानगा वल्द कालू कोम माली के गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी उक्त खातेदार की मृत्यु के पश्चात नामा0 सं.0 1269 से नानगा के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदार दर्ज करने का नोट अंकित है। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 188/364 दिनांक 02.02.2017 से वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 168 तथा पत्रांक 189/365 दिनांक 02.02.2017 से वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 167 का गैरखातेदार के नाम खातेदारी पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थिगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बूंदी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से अप्रार्थिगण वाद विषयक भूमि के रिकॉडेड खातेदार है जिनके पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित है। प्रार्थिगण के पक्ष में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से प्राथमिक दृष्टया सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति होना नहीं पाया जाता है। हक व स्वत्व की घोषणा तो दावे में उभयपक्ष की सहादत लेकर ही की जा सकेगी। हमारे मत में अभिलिखित खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से पाबंदी किया जाना उचित नहीं है।

अतः प्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम हो वाद पूर्ति संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)
लाखेरी(बून्दी)